राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4193/2025

गौरव सिंह राठौड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2025
आदेश की दिनांक : 07.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तँवर, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (निलम्बित) के पद पर श्वसन रोग संस्थान, जिला जयपुर में कार्यरत हैं। अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर कनिष्ठ सहायक के पद पर फरवरी, 2009 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 18.02.2009 को सवाई मानसिंह चिकित्सा एवं महाविद्यालय में कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर की गई तथा वर्ष 2022–23 में अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर बिना किसी शिकायत के कार्यरत् है। उनका कथन है कि दिनांक 02.04.2024 को एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468 व 120बी के तहत एफआईआर सं. 54/2024 दर्ज की गई। जिसमें अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 2

ने आदेश दिनांक 01.04.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित कर मुख्यालय अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान, जयपुर में किया गया। तब से अपीलार्थी निलम्बित चल रहा है तथा न्यायालय से भी जनवरी 2025 में अपीलार्थी की जमानत हो गई थी। अपीलार्थी द्वारा निलम्बन काल का निर्वाह भत्ता देने बाबत् प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को बेसिक पे का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया। परन्तु राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 53 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को निलम्बन के 6 माह पश्चात् बेसिक पे का 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए तथा नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धियां भी दी जानी चाहिए। उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 01.10.2024 से आज तक के निलम्बन काल के निर्वाह भत्ते का 75 प्रतिशत की राशि का भुगतान नहीं किया है। जिसके लिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 06.03.2025 (अनुलग्नक–1) को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को वर्ष 2024 से वर्तमान तक की वार्षिक वेतन वृद्धियां लगाते हुए फिक्सेशन किया जावें तथा निलम्बन के 6 माह पश्चात् मिलने वाले निर्वाह भत्ते का उक्त प्रावधानों के अनुसार फिक्सेशन करते हुए निर्वाह भत्ता दिया जायें। जिससे अपीलार्थी अपना जीवनयापन कर सकें तथा परिवार का खर्चा चला सकें। किन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त निर्वाह भत्ते में बढ़ोत्तरी नहीं कर अवैध व अनुचित कृत्य किया है। अपीलार्थी अन्य कोई कार्य भी नहीं कर रहा है तथा ना ही अपीलार्थी का कोई निजी व्यवसाय है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को दिनांक 29.03.2025 (अनुलग्नक–5) एवं दिनांक 08.09.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि निलम्बन के समय अपीलार्थी की बेसिक पे 34800/– रुपये थी, जिसका 50 प्रतिशत 17400/– रुपये होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को निलम्बन के 6 माह बीत जाने के बावजूद आज तक 17400/– रुपये बेसिक पे के अनुसार ही निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है तथा प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2024 व 2025 में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धियों में भी अपीलार्थी का फिक्सेशन नहीं किया है। जबकि निलम्बन काल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अपीलार्थी की वेतनवृद्धि को रोका जा सकें। उक्त भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को ना तो न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी करने व परिवार का खर्चा चलाने आदि में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रत्यर्थी विभाग को बार–बार निवेदन करने के बावजूद अपीलार्थी को आज तक उक्त भुगतान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है तथा

मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अप्रैल 2024 के पश्चात् मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धियों में फिक्सेशन करते हुए दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 01.09.2024 तक बेसिक पे का 50 प्रतिशत तथा दिनांक 01.10.2024 से बेसिक पे 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जाकर भुगतान दिलाया जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के दृष्टिगत यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थीगण के सक्षम प्राधिकारी अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अभ्यावेदनों को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर, निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)